भरतपुर में बीएसएनएल ऑफिस में आग लगी, ट्रांसमिशन रूम जलने से नेटवर्क ठप

बीएसएनएल के ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है

- आगजनी से बीएसएनल का नेटवर्क ठप हो गया और एक लाख से अधिक मोबाइल नेटवर्क और बैंक लाइन सीज़ हो गई

भरतपुर, (निसं)। शहर के कृष्णा नगर स्थित बीएसएनल ऑफिस में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कम्प मच गया। आग लगने से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान पर आ गये। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि नुकसान काफी हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी दमकल गाड़ियां काफी देरी से पहुंची। बाद में भरतपुर की चार दमकल गाड़ियों के अलावा उच्चैन एवं नदबई नगर पालिका से दमकलें बुलाई गई। आगजनी से बीएसएनल का नेटवर्क ठप्प हो गया और एक लाख से अधिक मोबाइल नेटवर्क और बैंक लाइन सीज़ हो गई।

भरतपुर में बीएसएनल ऑफिस में आग लगने से धुआं ही धुआं हो गया।

आग लगने की सूचना मिलने पर तहसीलदार अजय पारीक, संजय गुर्जर, नगर निगम के आरओ तेजराम मीणा, मथुरा गेट थाना अधिकारी देरावर सिह सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। आग इतनी विकराल थी कि तीनों मंजिलों से धुआं ही धुआं निकल रहा था। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि बीएसएनल के ऑफिस में दो तीन साल पहले भी आग लगने की बड़ी घटना घटित हो चुकी है। बताया गया कि बीएसएनल के पास न तो फायर एनओसी थी, साथ ही आग बुझाने के यंत्र भी एक्सपायर थे, इसलिए नगर निगम ने बिल्डिंग सीज करने के नोटिस दिए थे। वहीं बीएसएनल के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के करीब 45 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।

बीएसएनएल सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेखर एवं ब्रजभूषण पाराशर ने बताया कि बीएसएनएल के ट्रांसमिशन रूम में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन, दमकल की गाड़ियां एक घंटे की देरी से ही आई। उसमें भी पानी पर्याप्त नहीं था। आग से विभाग को काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग के अंदर जाकर सभी चीजें देखी जाएगी उसके बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। नगर निगम के राजस्व अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि फायर स्टेशन पर 2 बजे करीब आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट की जानकारी की गई तो, वह भी एक्सपायरी डेट के थे। फायर एनओसी नहीं होने के कारण नगर निगम ने बिल्डिंग सीज के नोटिस बीएसएनल को दिए थे। इसके साथ ही बीएसएनल ऑफिस की तरफ से यूडी टैक्स भी जमा नहीं करवाया गया था।

पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर के बीएसएनएल आफिस में लगी आग की घटना की जाँच कर यह पुख्ता व्यवस्था की जाए कि इस तरह की घटना दुबारा ना हो। जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर जांच कराई जाए जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि भवन में फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम ही नहीं था। यह अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

बीएसएनएल सलाहकार समिति सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता अशोक ताम्बी ने आग लगने के कारण एवं नुकसान की जांच की मांग की है। टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल में इस तरह की अप्रत्यशित घटना से सेवाओं में रुकावट (फ़ोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड), ज़रूरी सेवाओं पर असर होने से अफरा-तफरी जैसे हालात बन सकते हैं। अशोक ताम्बी ने ग्राहकों के डाटा, जानकारी नष्ट होने पर चिंता जताई है।

केकड़ी में दिनदहाड़े फायरिंग, प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर घायल

- आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की, पेट और हाथ में गोली लगने से प्रिंटिंग प्रेस संचालक गंभीर रूप से घायल
- पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया

केकड़ी, (निसं)। शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अजमेरी गेट पर बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक पर खुलेआम गोलियां चला दी। घटना में व्यापारी के पेट और हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की वारदात के बाद बाजार में दहशत फैल गई और भयभीत व्यापारियों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर दीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेरी गेट स्थित अम्बिका प्रिन्टर्स के संचालक महेन्द्र साहू (50) पुत्र दुर्गालाल साहू का केकड़ी निवासी अजय साहू के साथ लंबे समय से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार शाम करीब चार बजे अजय साहू अपने कुछ साथियों के साथ महेन्द्र की दुकान पर पहुंचा। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई। इसी दौरान अजय ने पिस्टल निकालकर महेन्द्र पर फायर कर दिया। गोली लगते ही महेन्द्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय साहू को घटनास्थल के पास ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दो अन्य साथियों को बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया।

घायल व्यापारी को आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे अजमेर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।

एएसपी राजेश मील ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से आर्थिक लेनदेन को लेकर रंजिश चली आ रही है। पूर्व में भी दोनों ओर से मारपीट के मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार विवाद पिछले कुछ दिनों से और गहराता जा रहा था तथा कुछ समय पहले पीड़ित के छोटे पुत्र पर भी हमला किया गया था। पूर्व घटनाओं के बावजूद विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका, जिसके चलते मामला बुधवार को हिंसक रूप ले बैठा। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और वारदात में उसके साथ कौन-कौन शामिल था। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

डीडवाना कलैक्टर ने 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे दिये

डीडवाना, (निसं)। जिला कलैक्टर डॉ.महेंद्र खड़गावत ने बुधवार को जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रो के 70 पट्टे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को प्रदान किये। अतिरिक्त जिला कलैक्टर मोहन लाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलैक्टर डॉ. खड़गावत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कुल 70 पट्टे प्रदान किये हैं।

उन्होंने बताया कि जिला कलैक्टर द्वारा जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की भूमि के पट्टे जारी करने के निर्देश दिए प्रदान किये थे। पूर्व में जिला कलैक्टर द्वारा जिले के 13 चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों को पट्टे प्रदान किये गए थे, इसी क्रम में बुधवार को जिले के 70 चिकित्सा केंद्रों को पट्टे जारी किये गए हैं। अतिरिक्त जिला कलैक्टर ने बताया कि चिकित्सा केंद्रों को पट्टे मिलने से स्वास्थ्य संस्थानों के भवन निर्माण एवं क्रमोंनत होने पर उनके विस्तार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कलैक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के साथ- साथ त्वरित अग्रिम कार्यवाही कर पट्टे जारी करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है।

टोंक में कोहरे से दो वाहन भिड़े

टोंक, (निसं)। निवाई उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे-52 पर स्थित आशाराम गौशाला के पास बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा में खड़ी पिकअप गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि मौके पर कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस दौरान गुजरे रहे राहगीरों ने बताया कि डेयरी की पिकअप सड़क किनारे खड़ी थी और उसके कार्मिक पास की एक दुकान पर दूध के कैरेट उतार रहे थे, तभी जयपुर से टोंक की ओर जा रहे डंपर ने घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़ी पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

डीडवाना : ग्राम पंचायत कोयल को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध जारी

- ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग कलैक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की
- बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार की चेतावनी दी
- पिछले चार दिन से उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ग्रामीणों का धरना जारी है

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना जिले में ग्राम पंचायतों के नए सिरे से पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर जगह-जगह विरोध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नई पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में लाडनूं उपखंड की ग्राम पंचायत कोयल को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने का विरोध होने लगा है। इसके तहत बुधवार को ग्राम बादेड़ व बेड़ के सैकड़ों लोग जिला कलैक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत मुख्यालय ग्राम बादेड़ को बनाने की मांग की।

इस दौरान बादेड़ ग्राम की महिलाओं ने जिला कलैक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं ने राजस्थानी गीत गाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बादेड़ को मुख्यालय नहीं बनाने पर भूख हड़ताल करने तथा मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलैक्टर को बताया कि राज्य सरकार ने नवसृजित ग्राम पंचायत कोयल का गठन किया है, जिसमें ग्राम बेड़ व बादेड़ को भी शामिल किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को बनाया जाने से ग्राम बादेड़ व बेड़ के आम नागरिकों में भारी विरोध है।

उन्होंने बताया कि ग्राम बादेड़, ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल से जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है। आबादी घनत्व एवं वोटर लिस्ट के अनुसार भी ग्राम बादेड़ में मतदाता संख्या भी ज्यादा है। इसके अलावा नवसृजित ग्राम पंचायतों में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गांव ही पंचायत मुख्यालय बनने के कानूनी दृष्टि से हकदार भी है। इसी प्रकार ग्राम बादेड़ मेघा हाईवे व आस-पास के गांवों के सम्पर्क सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। गांव में सरकारी भूमि की भी पर्याप्त उपलब्धता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आधुनिक सुविधाओं से लेस सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, जो गांव के बीच आबादी में पर्याप्त जगह पर बना हुआ है। इसके अलावा भी गांव शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बादेड़ से कोयल की दूरी करीब 8 किमी है और ग्राम बादेड़ से कोयल की सीधी सड़क की कोई कनेक्टीविटि नहीं है। ग्राम बादेड़ पहले बाकलिया ग्राम मुख्यालय से जुड़ा हुआ था जो करीब 1.5 किमी दूर था और अब कोयल मुख्यालय बना देने से बादेड़ अब 8 किमी दूर हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में सरकार को जो पत्र भेजा गया था, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय बादेड़ को रखने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय कोयल को केवल मात्र राजतैनिक द्धषेता से बनाया गया है। जिसमें राज्य सरकार से जारी नियमों को पूर्णतया ताक में रखा गया है, जिसमें केवल आनन-फानन में मुख्यालय कोयल ट्रांसफर किया गया है, जबकि ऐसी कोई भी अर्हता ग्राम कोयल पूरी नहीं कर रहा है और मजबूरन ग्रामवासियों को सारे ज्ञापन देने के उपरांत और कोई कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी से उपखण्ड कार्यालय के सामने धरना देने को विवश होना पड़ रहा है।

चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की रायपुर थाना पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोराणा के भैरूजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है।

रायपुर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनदास वैष्णव और पुष्पा देवी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से मंदिर से चुराया गया गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2025 की रात को चोरों ने बोराणा गांव के कोयड़ स्थित भैरूजी मंदिर और माताजी मंदिर को निशाना बनाया था। चोरों ने ताला तोड़कर वहां से चांदी के दो छत्र, एक नथ और गैस सिलेंडर चोरी कर लिया था। इस संबंध में 1 जनवरी को परिवादी घीसू गुर्जर ने मामला दर्ज करवाया था। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर रायपुर थानाधिकारी शंभू दयाल की टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

गुड़ामालानी को बाड़मेर और बालोतरा जिलों में बांटने से लोगों में आक्रोश

- गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायत समितियों को बाड़मेर में रखा गया है, जबकि कुछ को बालोतरा जिले में जोड़ा गया है
- कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है

गुड़ामालानी, (नि.सं.)। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायत समितियों को बाड़मेर में रखा गया है, जबकि कुछ को बालोतरा जिले में जोड़ा गया है। इस फैसले से विपक्षी दलों और लम्बी दूरी के मतदाताओं में भारी रोष है। कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, इससे लोगों को परेशानी होगी। वहीं सरकार ने यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दो जिलों में बांटना यह न्याय संगत नहीं है। बालोतरा जिले से लम्बी दूरी तय करने वाले मतदाताओं का कहना है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को एक ही जिले में रखा जाए।

गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को दो भागों में बांटने के फैसले ने जनता को असमंजस में डाल दिया है। एक तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है। जनता के लिए यह फैसला दो धारी तलवार साबित हो रहा है। एक तरफ उन्हें अपने कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दो जिलों में बांटने से परेशानी भी होगी। लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह फैसला उनके हित में है या नहीं, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज होती नजर आ रही है।

गौरतलब है कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र को पूरा बालोतरा जिले में नहीं लेकर कुछ ग्राम पंचायतों को हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया है। बालोतरा जिले से कम दूरी वाली ग्राम पंचायतों को बाड़मेर जिले में जोड़ना जबकि धोरीमन्ना बालोतरा से लम्बी दूरी है, उसको बालोतरा जिले में शामिल करना इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर पांचवें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं लगातार चल रहे धरने में दिनों-दिन लोगों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है।

वाहनों में तोड़फोड़ करने वाला बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर पुलिस ने सूरजपोल थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया व विधी से संघर्षरत दो बाल अपचारियों को डिटेन किया।

प्रकरण के अनुसार 6 जनवरी रात में सूरजपोल थाना क्षैत्र स्वराजनगर माछला मगरा क्षैत्र में गली में रोड़ किनारे खड़ी करीब 2 दर्जन गाड़ियों में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ करने की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सूपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह चौहान मय टीम ने मामले में नवाज पुत्र जावेद खान उर्फ लाला निवासी दिवानशाह कॉलोनी व साथियों द्वारा करने की जानकारी जुटाईं। इस मामले में आरोपियों के ठिकाने पर दबीश दी तो तीनों माछला मगरा से पुलिस को देख भागने के लिए पहाड़ी से कूद पड़े, जिससे नवाज के दोनों पांव व एक हाथ टूट गया तथा शेष दोनों के पैर टूटे है। जिन्हें डिटेन करने के बाद चिकित्साल में उपचार करवाया तथा नवाज को गिरफ्तार किया।

पांच लाख की फिरौती के लिए बदमाशों ने कार में आग लगाई

- आरोपियों ने 23 दिसंबर को व्हाट्सअप मैसेज कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी

बीकानेर, (निसं)। बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाशों ने पांच लाख रुपए की फिरौती के लिए घर के आगे खड़ी एक कार में आग लगा दी और धमकी देकर फरार हो गए। सोमवार की रात को करीब 2.30 बजे बाइक पर सवार होकर मुक्ताप्रसाद नगर के सेक्टर 10 में पहुंचे बदमाश रेलवे कर्मचारी श्यामसुन्दर सोनी के घर पहुंचे। घर के आगे खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस दौरान शोर सुनकर घर के लोग बाहर आए तो बदमाशों ने पांच लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। इत्तला मिलने पर मुक्ताप्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।

श्यामसुन्दर सोनी की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लुकमान व 3-4 अन्य ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए उसके घर के आगे खड़ी कार को जला दिया और जान से मारने की धमकी दी है। श्यामसुन्दर सोनी ने बताया कि आरोपियों ने 23 दिसंबर को मोबाइल पर व्हाट्सअप मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उसने रकम नहीं दी और मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था जिसकी जांच चल रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थानों में और भी मुकदमे दर्ज हैं।

छह लाख रुपये का डोडा-चूरा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 47 किलो डोडा-चूरा बरामद कर दो तस्करो को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई में पकड़े गये अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 6 लाख रूपये बताई गई है, पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो को भी जब्त किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अभियान के तहत कनवास थाने के उपनिरीक्षक सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि विशेष टीम ने कोटा-झालावाड़ राष्टीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की, पुलिस चैकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप को रोककर तलाशी ली तो बोलेरो पिकअप से अवैध मादक पदार्थ 47 किलो डोडा-चूरा तस्करी के लिये ले जाते हुए बरामद किया। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट में हिमाचल प्रदेश के गणजी निवासी शबीर खान एवं जिला पंजाब के जमालपुरा बस्ती निवासी लियाकत अली को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

उदयपुर : भूपाल नोबल्स वि.वि. के दीक्षांत समारोह में 99 पीएचडी धारकों को डिग्री बांटी

- जनजाति बाहुल्य को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत : राज्यपाल बागड़े

उदयपुर, (कासं)। औपनिवेशिक नीतियों के कारण देश शिक्षा और स्थानीय उद्योगों से दूर हुआ, जिससे समाज में गरीबी और विसंगतियां बढ़ीं। इन चुनौतियों का समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास, बड़ी सोच, एकाग्रता और गहन अध्ययन को जीवन का मूल मंत्र अपनाने का आव्हान करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उत्कृष्टता को स्थापित किया जा सकता है। यह विचार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को भूपाल नोबल्स संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अंकिता भंडारी को पीएचडी की डिग्री प्रदान की।

राज्यपाल बागड़े ने 99 पीएचडी धारकों को उपाधि एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 47 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा। बागड़े ने संस्थान परिसर में लगी महाराणा भूपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। राज्यपाल बागड़े ने जनजातीय बाहुल्य जिलों में विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछड़े, घुमंतू और जनजातीय वर्ग से जुड़े विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करना होगा, तभी सामाजिक स्तर पर समानता संभव हो पाएगी।

बागडे ने महाराणा भूपाल सिंह को नमन करते हुए कहा कि आजादी से पूर्व 1923 में वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से दो छात्रों से प्रारंभ होकर आज वटवृक्ष रूप खड़ी है जहां 10 हजार नियमित छात्र अध्ययनरत है। बागड़े ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और उसके स्वर्णिम गौरव को पुन: स्थापित करने में विश्वविद्यालयों की निर्णायक भूमिका है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में देश फिर से विश्व में नेतृत्वकारी स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने का आव्हान किया।

विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति एवं राज्यपाल राजस्थान के उच्च शिक्षा सलाहकार प्रो. कैलाश सोडाणी ने कहा कि आत्मनिर्भर और आधुनिक मेवाड़ के निर्माण में शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्होंने शोध, डिजिटल आधारित शिक्षा और डिजिटल अपग्रेड को समय की जरूरत बताते हुए मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए देश के अपने सोशल प्लेटफॉर्म विकसित करने का आव्हान किया। उन्होंने विदेशी सोशल मीडिया के विकल्प तलाशने, शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षकों की भूमिका में सुधार तथा विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग कर समाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि दीक्षांत भारतीय शिक्षा परंपरा का वह विशिष्ट क्षण है, जब शिक्षा केवल बौद्धिक उपलब्धि न रहकर जीवन मूल्यों और संस्कारों का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों को शिक्षार्थी से जिम्मेदार नागरिक बनने तथा साधना से कर्मयोग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड़ ने बताया कि 7 हजार से अधिक विद्या प्रचारिणी सभा कार्यकारिणी पदाधिकारी, सदस्य, विद्यार्थी एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में राज्यपाल बागडे ने 99 पीएचडी धारकों को उपाधि एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 47 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा एवं 2025 डिग्रियों को अवार्ड की। 62 पीएचडी उपाधि, 35 गोल्ड मेडल पर बेटियों ने कब्जा किया।

हाईकोर्ट ने टीएसपी एरिया में नगर पालिका बनाने को हरी झंडी दी

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर और बांसवाड़ा के टीएसपी के क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन और विस्तार के तहत उन गांवों को शामिल करने की राज्य सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने बलीचा ग्राम पंचायत और अन्य की याचिकाओं का खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक संसद से एमईएसए (म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) कानून नहीं बन जाता, तब तक इन क्षेत्रों में प्रशासन "हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल" (मिश्रित व्यवस्था) के तहत चलेगा। खंडपीठ ने 14 याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि टीएसपी क्षेत्रों में नगर पालिका अधिनियम लागू करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। दरअसल, राज्य सरकार ने उदयपुर के बलीचा, ऋषभदेव, सेमारी और बांसवाड़ा के घाटोल, परतापुर सहित कई गांवों को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था। ग्राम पंचायत बलीचा की सरपंच लक्ष्मी बाई गमेती और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243-जेडसी के तहत टीएसपी क्षेत्रों में नगर पालिका कानून लागू नहीं होता। उन्होंने दलील दी कि पेसा एक्ट की तरह नगर पालिकाओं के लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, इसलिए राज्य सरकार इन क्षेत्रों में नगर पालिका गठित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी और पेसा एक्ट का उल्लंघन होगा।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, वहां राज्य के सामान्य कानून (जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 2009) लागू होने से नहीं रोके जा सकते। जब तक राज्यपाल 5 वीं अनुसूची के तहत किसी कानून को विशेष रूप से रोकने की अधिसूचना जारी नहीं करते, तब तक विकास और शहरीकरण के लिए म्युनिसिपैलिटी एक्ट लागू रहेगा। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि 2001 में प्रस्तावित एमईएसए बिल आज तक संसद से पास नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस 'संवैधानिक वैक्यूम' को भरा जाना जरूरी है। आदेश की प्रति केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द कानून बनाया जा सके।